

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, कोर्ट संख्या-12, जौनपुर।

मु० संख्या-272 / 2022

मीता देवी—प्रति—सुनीता देवी आदि

दिनांक-17.08.2022

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-155 (2) द०प्र०सं० प्रस्तुत कर याचना की गयी है कि एन०सी०आर० संख्या-83 / 2022 के प्रकरण में विवेचना हेतु आदेश पारित किया जाये।

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपराध उपरोक्त असंज्ञेय है व थाने की आख्या अनुसार अन्वेषण नहीं हो रहा है, इन परिस्थितियों में एन०सी०आर० उपरोक्त की विवेचना कराया जाना न्यायोचित है। तदनुसार आदेश पारित है।

—आदेश—

सम्बन्धित थाना प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि एन०सी०आर० संख्या-83 / 2022 की विवेचना विधि अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

ए०सी०जे०एम०, प्रथम,
जौनपुर।